रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक,
न्यू पब्लिक इण्टर कालेज, (कृष्णानगर)
कृष्णनगर, लखनऊ

पत्रांक:-आई0 बी0 मान्यता/ 789 दिनांक 22-6- 2005

विषय:-इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

राजाज्ञा संख्या 1160/ 15-7-2001-4(203)/ 2001 दिनांक 31मार्च 2001

महोदय,

शासन ने ~~माध्यमिक शिक्षा परिषद्, माध्यमिक शिक्षा परिषद्~~ का संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2006 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे।

[कृ0 प0 उ0

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख) प्रश्नगत मान्यता की प्रतिभूति धनराशि रूपया 3000-00 विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में होने का प्रमाण पत्र निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय	---	कम्प्यूटर

टिप्पणी:--उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

2-11-2/61-5

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : आई0 बी0 मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ
2--संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
4--इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव;
माध्यमिक शिक्षा परिषद्;
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

पी0 एस0 यू0 पी0--72 मा0 मा0 पु0-10-7-2002--10,000 (जाब)।

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
न्यू पब्लिक इण्टर कालेज,
कृष्णानगर, लखनऊ।

पत्र संख्या : आई0 बी0 मान्यता/ 4446 दिनांक 27-2-2006

विषय :—इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या ई0एम0 80/15-7-05-4(698)/2005 दिनांक 15 सितम्बर, 2005 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अधीन आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2007 को इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/ विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग, विषय को प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षण के प्रबन्ध की व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रामूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने का विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) मान्यता पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7 क क के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना एवं प्रमाण मिथ्या या गलत पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

[कृ0 प0 उ0

(ख) प्रबन्ध तंत्र द्वारा इस आशय का पारित प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क के प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार किया जाता है, तत्काल निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में प्रदत्त मान्यता परिषद्/शासन द्वारा प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ग) संदर्भगत मान्यता की प्रतिभूति धनराशि रूपया 5000=00 विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक कराकर प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

(घ) मानक के अनुसार शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकें उपलब्ध होने की आख्या निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित की जाय।

(ङ) विद्यालय भूमि/भवन/क्रीड़ास्थल 1000 वर्ग मीटर विद्यालय के नाम होने का निजी स्वामित्व में होने का प्रमाण-पत्र निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

(च) अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य अतिरिक्त वर्ग।	हिन्दी	विवरण पत्रिका के अनुसार।

एक वर्ष

टिप्पणी:-उक्त पत्र में अंकित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ~~xxxxxxx~~ के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

24/2/06

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या:--आई0 बी0 मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
2 -संभागीय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
4--इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव;
माध्यमिक शिक्षा परिषद्;
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

पी0 एस0 यू0 पी0--71 माध्य शि0 प0 10-7-2002--10,000 (जाब)।

रीजस्टर्ड

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

सेवा में

प्रबन्धक,
न्यू पब्लिक इण्टर कालेज,
कृष्णानगर, लखनऊ।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता/इ/ 2598 इलाहाबाद, दिनांक 8-3- , 1999

सीधे (कक्षा 9व 10)

विषय--आपका /हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त~~ (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय, राजाज्ञा संख्या- 3857/15-7-4(56)/1993, दिनांक- 2·1·1999 द्वारा

शासन ने /~~मान्यता समिति एवं समाप्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद् को संस्तुति के उपरान्त~~ इण्टरमीडिएट शिक्षा (~~संशोधन~~) अधिनियम, ~~1987~~ 1921 की धारा ~~9 क (4)~~ 9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् को 2000 को हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषयों में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व विद्यालय के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रार्थना, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~जनपदीय उप शिक्षा निदेशक (जा०)~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~जनपदीय उप शिक्षा निदेशक (जा०)~~ से 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिये सिंगल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) विद्यालय द्वारा कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त यदि अन्य कक्षाएं संचालित की जाती है तो वे आमान्य होगी तथा हाईस्कूल का भाग नहीं होगी ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
सीधे हाईस्कूल नवीन।	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नैतिक, शारीरिक समाजोपयोगी उत्पादक, एवं समाज सेवा कार्य ।	नवीन पाठ्यक्रमानुसार।

9 40

टिप्पणी--(1) कक्षा.....में प्रवेश हेतु कम से कम.....छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षण ~~निरीक्षित~~ कराकर कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्नक- भवन विश्लेषण ।

भवदीय,

अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या आई0 बी0 मान्यता/इ/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0)~~। लखनऊ ।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक । लखनऊ ।
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
(4) हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा, संस्थागत अनुभाग ।
(5) सचिव मा0शि0प0, मुख्यालय, इलाहाबाद।

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

अपर सचिव ।

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

बी0 एस0 यू0 पी0--199 मा0 शि0 प0--21-1-97--10,000 प्रतियां (पे0 डी0) ।

प्रेषक,

सेवा में

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
कार्यालय कार्यालय इलाहाबाद ।

प्रधानाचार्य,
न्यू पब्लिक इण्टर कालेज,
कृष्णानगर, लखनऊ ।

पत्र संख्या आई० बो० मान्यता/ग/ 2357 इलाहाबाद, दिनांक 17/2/2001 19

विषय—आपका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/प्रतिबन्धित (वर्ग/विषय) को मान्यता का

प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

राजाज्ञा सं० 27/ 15-7-4(20)/ 2000 दिनांक 29 जून, 2000 द्वारा

शासन ने/~~मान्यता प्रक्रिया एवं समाप्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त~~ इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1992, 1992 की धारा 9-C(4)(b) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की ~~1999~~ हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में बिना वित्तीय मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, ~~सुरक्षालय~~, स्थान, प्रभार, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) ~~स्वयं जिलाधिकारी~~ के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अतिरिक्त होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित ~~करने की अनुमति प्राप्त कर ली~~ जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिए लिखित आदेश देहात व चेंजर्स ही स्वीकार किये जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य एवं ~~प्रबन्धकों~~ की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

कृ० Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

(5)

2

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) संदर्भगत मान्यता को वित्तविहीन मंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध तंत्र का पारित प्रस्ताव निरीक्षक के माध्यम से भेजे ।

(ग) प्रतिभूति के रूप में 5000/= विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षक के पद में बंधक करा-कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे ।

(घ) विद्यालय में निर्धारित माप के 5 शिक्षण कक्ष, 2 प्रयोगशाला, 1 पुस्तकालय, कुल 8 कमरों की एक वर्ष में बनवाकर प्रमाण/सूचना निरीक्षक के माध्यम से भेजे ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग	हिन्दी	भौतिक विज्ञान, रसा० विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी ।

टिप्पणी—(1) कक्षा.....में प्रवेश हेतु कम से कम.....छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (निम्नांकितों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही कृपया कक्षा संचालित करें ।

भवदीय,

17.02.2

अपर सचिव ।

13/2

दिनांक

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक । लखनऊ

(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक । लखनऊ ।

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(4) हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग ।

(5) सचिव, मा० शि० परिषद इलाहाबाद ।

अपर सचिव ।

पी० ए० यू० पी०—247 मा० शि० प०—27-2-2000—10,000 प्रतियां (पी० डी०) ।

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow